राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 7(53)परि/नियम/मु./2022/एटीएस /21222 जयपुर दिनांकः 6-9-22

कार्यालय आदेश संख्या 15/2022

स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.09.2021 को अधिसूचना क्रमांक G.S.R 652(E) जारी कर स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नया अध्याय 11 (स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियत्रंण) जोड़कर नियम 173–190 तक अतः स्थापित किये गये है। उक्त नियमों में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किये गये है। इन प्रावधानों को राजस्थान राज्य में लागू करने के संदर्भ में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना/मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 174 के अंतर्गत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी परिवहन आयुक्त होगा तथा नियम 175(9) या नियम 185 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के आदेश के विरूद्व नियम 186 के अन्तर्गत अपील हेतु अपीलीय अधिकारी प्रमुख शासन सचिव (परिवहन)/अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) होगा।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 176 के अनुसार किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का स्वामी (Owner) या प्रचालक (Operator) राज्य सरकार/किसी कम्पनी/एसोसियेशन/व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय/विशेष प्रयोजन यान (प्रत्यक्ष रूप से या पब्लिक प्राईवेट भागीदारी के माध्यम से) होंगे।
3. कोई यान विनिर्माता/सेवा केन्द्र/मोटर वाहन डीलर/यान के सुधार या विनिर्माण या यान के विक्रय या मोटर गाडी के पुर्जो से संबंधित कोई व्यक्ति किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का प्रत्यक्ष रूप से स्वामी या प्रचालक नहीं बनेगा, परन्तु वह कोई समनुषंगी (Subsidiary) या संयुक्त उद्यम (Joint Venture) या कोई विशेष प्रयोजन यान (Special Purpose Vehicle) बनाकर ऐसा कर सकेगा।
4. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989, के नियम 176 के अनुसार पात्र आवेदक द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 175 के अंतर्गत नये स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु सर्वप्रथम प्रारूप 63 में नियम 188 में निर्दिष्ट फीस के साथ प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान हेतु रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित करेगा कि आवेदन के समय वह नियम 176 में विनिर्दिष्ट वित्तीय सुदृढता एवं नियम 178 के अनुसार आवश्यक भूमि (भू उपयोग एवं एप्रोच रोड़ के संबंध में आवश्यक प्रमाण सहित) एवं अन्य समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

5. प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामान्यतः 6 माह होगी जिसे उचित कारणों अथवा परिस्थितियों के मध्यनजर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा 3 माह तक विस्तार प्रदान किया जा सकता है।
6. आवेदक द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 178 के अनुसार स्वचलित परीक्षण केन्द्र के लिए आवश्यक भूमि एवं आधारभूत संरचना के निर्धारित मापदण्डों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जावे। आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थान के लिए न्यूनतम 18 मीटर चौडी अप्रोच रोड होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. आवेदक निर्धारित प्रारूप 61 में प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना कर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड् केलीब्रेशन लेबोरेट्रीज (NABL)–एक्रेडिटेड एजेन्सी या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेन्सी को आवेदन कर इसकी प्री–कमीशन ऑडिट करने एवं मूल्यांकन हेतु नियुक्त करेगा। इसके उपरान्त आवेदक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप 64 में नियम 188 में निर्दिष्ट शुल्क व सुरक्षा जमा या बैंक गारण्टी, प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तथा प्रारूप 66 में सफल प्री–कमीशनिंग ऑडिट और निर्धारण रिपोर्ट सहित नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रोनिक रूप में आवेदन किया जायेगा। ऑफलाईन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।
8. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 179 की अपेक्षानुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशन के संचालन हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। स्वचालित परीक्षण स्टेशन श्रमविधियों (Labour Laws) सहित तत्समय प्रवृत्त सभी विधियों की पालना सुनिश्चित करेगा।
9. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 180 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र इसे जारी करने की दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा इसका पश्चात्वर्ती नवीनीकरण, नवीनीकरण की दिनांक से 5 वर्ष के लिए वैध होगा।
10. किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र पर फिटनेस परीक्षण प्रक्रिया एवं कार्यविधि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 181 में वर्णित प्रावधानानुसार संपादित की जायेगी।
11. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 189 में मोटर वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी एवं नवीनीकरण हेतु की जाने वाली जांच, परीक्षण एवं संदर्भ मानकों का विस्तृत विवरण दिया गया है। स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तथा उनके तकनीकी विनिर्देश नियम 190 में वर्णित हैं, जिनकी पालना किया जाना आवश्यक है।
12. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 182 के अनुसार यदि कोई वाहन नियम 189 में विनिर्दिष्ठ सभी/किन्ही परीक्षणों में विफल रहता है तो वाहन का पंजीकृत मालिक/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 30 दिवस के भीतर पुनः परीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद पुनः परीक्षण का विकल्प चुनकर नियमानुसार आवेदन कर सकेगा। केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 183 के अधीन रहते हुये यदि कोई वाहन इस तरह के पुनः परीक्षण में अथवा विनिर्दिष्ठ समय के भीतर पुनः परीक्षण हेतु आवेदन करने में विफल रहता है तब ऐसे यान का जीवन समाप्त घोषित किया जायेगा।

13. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 183 के अनुसार यदि पंजीकृत स्वामी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता फिटनेस जांच परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो परिणाम प्राप्ति की दिनांक से 7 दिवस के भीतर ऑनलाईन पॉर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप 68 में नियम 188 में निर्धारित शुल्क एवं जांच परिणाम की प्रति के साथ अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस हेतु अपीलीय प्राधिकारी, संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होगा। संबंधित अपील प्राधिकारी ऐसी अपील प्राप्त होने के पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर वाहन के आंशिक या पूर्ण पुनः निरीक्षण का आदेश दे सकता है। ऐसा पुनः परीक्षण वाहन के उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी ऐसे वाहन को फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
14. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 184 के तहत स्थापित स्वचालित परीक्षण केन्द्रो के कार्य निष्पादन की संपरीक्षा एवं निर्धारण (audit and assessment) हर छः माह में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड़ केलीब्रेशन लेबोरेट्रीज (NABL)—एक्रेडिटेड एजेन्सी अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। इस तरह की ऑडिट की लागत स्वचालित परीक्षण केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा वहन की जाएगी, इसके अतिरिक्त अपवादित परिस्थितियों में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी स्वचालित परीक्षण केन्द्र की सरप्राईज ऑडिट और असेसमेन्ट भी करा सकेगा, जिसकी लागत भी प्रचालक द्वारा ही वहन की जाएगी।
15. स्वचालित परीक्षण केन्द्र द्वारा नियमों की पालना किये जाने में विफल रहने अथवा किसी अनाचार में लिप्त होने पर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 185 में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलम्बित या निरस्त करने और प्रतिभूति निक्षेप (security deposit) जब्त करने की शक्तियां प्रदान की गई है।
16. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 186 के अन्तर्गत उक्त आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष नियम 187 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एवं यथाविनिर्दिष्ट शुल्क सहित अपील प्रस्तुत कर सकता है।
17. इनके अतिरिक्त स्वचालित परीक्षण केन्द्रो के स्थापना एवं कार्यप्रणाली के संबंध केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अध्याय 11 (स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियत्रंण) के नियम 173—190 के समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
18. स्वचालित परीक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं कार्यप्रणाली के संबंध में सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना/ आदेशों की पालना की जायेगी।

संलग्न—अधिसूचना क्रमांक G.S.R. 652(E) दिनांक 23.09.2021

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त परिवहन
एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 7 (53)परि/नियम/मु./2022/एटीएस 21223-229 जयपुर,दिनांक 6-9-22

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट में अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)